

अध्याय 2
वाणिज्य-कर

अध्याय-2 : वाणिज्य-कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बने नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ³ अपील प्रमंडलों और नौ⁴ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य कर आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों का नमूना-जाँच किया। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के दौरान वाणिज्य-कर विभाग के 60 इकाइयों में से दो इकाइयों⁵ का लेखापरीक्षा किया गया जिसमें 343 मामलों में सन्निहित

¹ वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यात्रियों एवं वस्तुओं पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर-पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

⁵ पाटलिपुत्र एवं पटना विशेष।

₹ 869.07 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1 लेखापरीक्षा का परिणाम			
			(₹ करोड़ में)
क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर / मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर			
1.	आवर्त का छिपाव किया जाना	49	257.24
2.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	41	105.32
3.	कर से छूट की अनियमित अनुमति दिया जाना	05	30.74
4.	कर का गलत दर लगाया जाना	34	26.00
5.	कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	30	25.13
6.	माल एवं सेवा कर में संक्रमणकालीन क्रेडिट	30	23.30
7.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	01	15.91
8.	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	08	13.47
9.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना	03	1.35
10.	कर के रियायती दर की अनियमित छूट	01	0.13
11.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	01	0.01
12.	अन्य मामले	118	310.82
कुल		321	809.42
ख: प्रवेश कर			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	16	48.79
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	06	10.86
कुल		22	59.65
कुल योग		343	869.07

अप्रैल 2018 से अप्रैल 2020 के दौरान, विभाग ने 665 मामलों में ₹ 36.71 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 142 मामलों में ₹ 6.92 करोड़ की वसूली की जो कि 2018-19 के पूर्व इंगित किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2018-19 के सभी मामलों के उत्तर अप्राप्त हैं (मई 2020)।

2.2.1 माल एवं सेवा कर डाटा पर एक्सेस

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाशर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 यह प्रावधित करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करेगा जो भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की जिसमें विधान सभा है, संचित निधि में देय है, और अपनी संतुष्टि कर ले कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं इस प्रकार परिकल्पित हैं कि राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के प्रभावशाली जाँच सुनिश्चित हो सके और उसका विधिवत अवलोकन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये लेखाओं की ऐसे परीक्षा करे जो वह ठीक समझे और उस पर प्रतिवेदन दे। लेखा परीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 की धारा 54 के अनुसार प्राप्तियों के लेखापरीक्षा में प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जाँच और संभावित कर दाताओं की पहचान, उनकी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रभावकारिता के साथ-साथ कर अपवंचना का पता लगाना और रोकथाम आदि भी शामिल है। पुनः लेखा परीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 की धारा 164 यह भी प्रावधित करता है कि लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि लेखापरीक्षा को आईटी प्रणालियों तक पहुंच का अधिकार हो, इस तथ्य के बावजूद भी कि प्रणालियों का स्वामित्व, रखरखाव एवं संचालन, अंकेक्षण की जानेवाली इकाई द्वारा या अंकेक्षण की जानेवाली इकाई की ओर से किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता हो।

इस प्रतिवेदन की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को जीएसटी आंकड़ों पर एक्सेस नहीं था, जिसके अभाव में, लेखापरीक्षा संक्रमणकालीन क्रेडिट की स्वीकृति तथा दावे, जहां मूल्यवर्द्धित कर अवधि के अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा किया गया था के अलावा जीएसटी की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जाँच नहीं कर सका।

जीएसटीएन/जीएसटी आंकड़ों पर एक्सेस के अभाव में, लेखापरीक्षा यह जाँच नहीं कर सका कि आईटी प्रणाली को जीएसटी नियमों के साथ सही तरीके से परिभाषित किया गया है, रिटर्न दाखिल और कर का भुगतान समय से किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा मापदंडों के अनुसार किया गया है, व्यवसायियों द्वारा कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान किया गया है आदि।

2.3 आवर्त का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 5.64 करोड़ के आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका जिससे आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 2.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, के धारा 31 (2) के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को छिपाव, त्रुटि या सही बिक्री/खरीद के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में छूटे हुए आवर्त पर देय कर एवं ब्याज के अलावा देय कर का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) की उपधारा (क) से (च) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारी विहित छः जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेगा।

2.3.1 विक्रय आवर्त का छिपाव किया जाना

पाटलिपुत्र वाणिज्य कर अंचल में नवम्बर 2019 में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि एक व्यवसायी ने अपने वार्षिक रिटर्न में वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 70.75 करोड़ के माल का विक्रय उद्घाटित किया। हालाँकि, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट-IV⁶ के आंकड़ों के अनुसार उसका विक्रय आवर्त ₹ 71.71 करोड़ था। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 96.25 लाख के विक्रय आवर्त का छिपाव किया, जिसे मार्च 2019 में कर-निर्धारण के दौरान पता नहीं लगाया जा सका। इसके फलस्वरूप ₹ 5.02 लाख के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 32.40 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 48.22 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.3.2 क्रय आवर्त का छिपाव किया जाना

पाटलिपुत्र वाणिज्य कर अंचल में नवम्बर 2019 में कर-निर्धारण अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा में पता चला कि दो व्यवसायियों ने वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 349.58 करोड़ के माल का वास्तविक क्रय किया जैसा कि उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट⁷ और सुविधा⁸ के उपयोग विवरणी में दर्शाया गया है। हालाँकि, उन्होंने उनके वार्षिक रिटर्नों में केवल ₹ 344.67 करोड़ का क्रय उद्घाटित किया, इस प्रकार, ₹ 4.92 करोड़ के माल के क्रय का छिपाव किया। जनवरी एवं जुलाई 2018 में कर-निर्धारण के दौरान ₹ 4.92 करोड़ के क्रय आवर्त

⁶ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

⁷ टीएआर- प्रत्येक व्यवसायी जिसका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ या इससे अधिक हो, को निर्धारित तिथि के पहले किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टीएआर जमा करना आवश्यक है।

⁸ सिम्पलीफाइड यूजेस ऑफ वेहिकल इनफॉर्मेशन डाटा हार्मोनाइज्ड एप्लीकेशन। सुविधा एक घोषणापत्र है जो व्यवसायियों द्वारा राज्य के बाहर/ दूसरे राज्य से अंदर तथा राज्यान्तर्गत वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है।

के छिपाव का पता नहीं लगाया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 19.18 लाख के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 1.27 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 1.88 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.4 कटौतियों के गलत लाभ/दावा के कारण कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण पदाधिकारी व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधित करता है कि अनुसूची-1 में निर्दिष्ट वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर देय नहीं होगा। पुनः, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची-1 के क्रम संख्या 76 सपठित एस.ओ. संख्या 325 दिनांक 05.12.2008 प्रावधित करता है कि राज्य में स्थित सेंट्रल मास्टर कैंटीन द्वारा केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के उपयोग के लिए सामानों की खरीद/बिक्री पर कोई कर का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि कोई अधिकारी जो एक कमांडिंग ऑफिसर रैंक के नीचे का न हो, यह प्रमाणित करता है कि बिक्री/खरीद केन्द्रीय बलों के किसी सदस्य के उपयोग के लिए की गई है और बेचे गये माल का पुनर्विक्रय नहीं किया जाएगा।

दो वाणिज्य कर अंचलों⁹ में जुलाई और नवंबर 2019 में कर निर्धारण अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों यथा रिटर्न और टार की नमूना जाँच से पता चला कि छः व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान अनुसूची-1 में शामिल वस्तुओं के लिए ₹ 20.51 करोड़ की कटौतियों का लाभ उठाया था, जबकि वे केवल ₹ 11.97 करोड़ कटौती के लिए योग्य थे। छः में से पाँच व्यवसायियों ने सीएसडी कैंटीनों और अन्य को माल की बिक्री के विरुद्ध कटौती का लाभ उठाया, हालाँकि छूट प्रमाण-पत्र मास्टर कैंटीन के प्रभारी और कैंटीन अधिकारी द्वारा जारी किया गया था जबकि कमांडिंग ऑफिसर द्वारा प्रमाणित नहीं था। शेष एक मामले में अनुसूची-1 वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध कटौती का दावा किया गया था परंतु बीजक के अनुसार वास्तव में दवाएं बेची गई थीं। कर निर्धारण प्राधिकारी, पाँच मामलों में, छूट प्रमाण-पत्र के अपेक्षित समर्थन द्वारा कटौती के दावों का पता लगाने में विफल रहे और एक मामले में कर निर्धारण आदेश में सीएसडी कैंटीन को बिक्री के कारण कटौती को अस्वीकृत कर दिया परंतु जुलाई 2018 से सितम्बर 2019 के बीच कर निर्धारण के दौरान अस्वीकृत कटौती पर कोई कर नहीं लगाया जिसके फलस्वरूप ₹ 46.99 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.60 करोड़ का कम कर लगाया गया जैसा कि परिशिष्ट-2 में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.5 स्वीकृत कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं/कम किया जाना

कर-निर्धारण के दौरान स्वीकृत कर के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.88 करोड़ के कर की कम वसूली एवं ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, उसे 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर

⁹ पाटलिपुत्र और पटना विशेष।

अधिनियम, की धारा 25(1) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी थी।

- दो वाणिज्य कर अंचलों¹⁰ में अगस्त और नवंबर 2019 के बीच अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि दो व्यवसायियों द्वारा 2016-17 की अवधि में ₹ 55.10 करोड़ के स्वीकृत कर के विरुद्ध ₹ 53.08 करोड़ के कर का भुगतान उनके रिटर्नों में दर्शाया गया है। इस प्रकार ₹ 2.02 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न जाँच करने और कर के भुगतान के साक्ष्य देखने और तदनुसार व्यवसायियों को नोटिस जारी करनी थी। हालाँकि, वे मार्च 2017 और मार्च 2018 के बीच कर-निर्धारण के दौरान कम भुगतान का पता नहीं लगा सके, जिसके फलस्वरूप ₹ 86.75 लाख के आरोप्य ब्याज एवं ₹ 2.02 करोड़ के स्वीकृत कर का कम भुगतान हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

- पटना विशेष अंचल में, जून और जुलाई 2019 के बीच, कर-निर्धारण अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि दो व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान छः से 714 दिनों के विलंब के साथ उनके स्वीकृत कर का भुगतान किया था। हालाँकि उनके द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जबकि वे ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। कर निर्धारण प्राधिकारी कर-निर्धारण करते समय दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के बीच विलम्ब से किए गये भुगतान का पता लगाने में विफल रहे, और इसलिए, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर ऐसे विलम्ब से किए गये कर के भुगतान के लिए ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 4.38 करोड़ की ब्याज राशि का अनारोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-4** में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

2.6 प्रवेश कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज आरोपित नहीं किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के विलंब से भुगतान पर ₹ 1.91 करोड़ के ब्याज के आरोपण नहीं किया।

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, उसे 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, की धारा 25(1) के अनुसार कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कर एवं ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही के साथ-साथ वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी थी।

दो वाणिज्य कर अंचलों¹¹ में जून और नवंबर 2019 के बीच कर-निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि तीन व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान दो से लेकर 251 दिनों तक के विलंब से अपने स्वीकृत प्रवेश कर का भुगतान किया था। इन व्यवसायियों ने ₹1.93 करोड़ के देय ब्याज के विरुद्ध केवल ₹ 1.50 लाख के ब्याज का भुगतान किया। कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने मार्च 2017 से मार्च 2019 के बीच प्रवेश कर के विलंब से भुगतान पर कर निर्धारण के दौरान उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ जैसाकि **परिशिष्ट-5** में वर्णित है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (मार्च 2020) किया गया; उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

¹⁰ पाटलिपुत्र और पटना विशेष।

¹¹ पाटलिपुत्र और पटना विशेष।